## मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 6.3.2006 में अधिकारियों की उपस्थिति।

| क्र0सं0 | पदनाम | नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | आयुक्त / अध्यक्ष<br>गढ़वाल मण्डल। | सुभाष कुमार | |
| 2. | अपर सचिव, आवास<br>उत्तरांचल शासन। | ~~पी0सी0 शर्मा~~<br>भास्करानन्द | |
| 3. | सचिव, वित्त<br>उत्तरांचल शासन। | ~~इन्दुकुमार पाण्डे~~<br>राधा रतूड़ी | |
| 4. | उपाध्यक्ष<br>एम0डी0डी0ए0 | सुब्रत विस्वास | |
| 5. | जिलाधिकारी,<br>देहरादून। | पुनीत कंसल | |
| 6. | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक<br>नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग<br>उत्तरांचल। | [illegible] | 06/III/06 |
| 7. | अधीक्षण ~~मुख्य~~ अभियन्ता, पेयजल<br>देहरादून। | आर0एस0 वर्मा | 6/3/06 |
| 8. | उप ~~मुख्य~~ नगर अधिकारी<br>नगर निगम, देहरादून। | ~~इन्दुधर बौड़ाई~~<br>के0सी0 जुयाल | |

<u>अन्य उपस्थित सदस्य</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सचिव<br>एम0डी0डी0ए0 | उमेशचन्द्र कबड़वाल | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

--2--

उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बैठक की कार्यवाही व गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। गत बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की सर्व-सम्मति से पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक 1--मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में कार्यरत 113 कर्मियों/अधिकारियों के वेनियमितिकरण पर विचार हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई एवं बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के दैनिक वेतन/ संविदा / वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु बोर्ड द्वारा प्रबल संस्तुति की गयी एवं शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर पत्राचार के माध्यम से जो पृच्छा की गई है उसका बिन्दुवार प्रतिउत्तर शासन को तत्काल प्रेषित किया जाये ताकि शासन स्तर पर इस प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जा सके। इसके अतिरिक्त तत्कालीन नियुक्ति अधिकारी जिनके द्वारा समय-समय पर दैनिक वेतन / संविदा / वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, के प्रति बोर्ड द्वारा आपत्ति एवं रोष व्यक्त किया गया।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण [illegible] संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनसे तीन दिन के भीतर कार्यहित एवं जनहित में कार्य पर [illegible] सुनिश्चित करें, साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में भी यथावश्यकता तत्काल [illegible] जनसेवा बाधित न हो।

विषय क्रमांक 2:- माजरा में सिटी सैंटर बनाये जाने हेतु प्रस्ताव।

यू-डेक द्वारा माजरा में सिटी सेन्टर के विकास हेतु प्रस्तुत कन्सेप्ट [illegible] 23 में दी गयी तालिका-4 में वर्णित विकल्पों पर विचार किया गया।

बोर्ड द्वारा अधिक आय की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण [illegible] सं0-3 जिसके अन्तर्गत 107262 वर्गमीटर बिल्टअपएरिया (निर्मित क्षेत्रफल) तथा 35 प्रतिशत भू आच्छादन [illegible] 39 मीटर की अधिकतम ऊँचाई प्रस्तावित है, को अपेक्षाकृत उपयुक्त पाया गया।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सिटी सेन्टर हेतु प्रस्तावित ऊँचाई पर भी विचार विमर्श किया गया। यू-डेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अश्वनी पाराशर द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख [illegible] संख्या 24, [illegible] 5.1 के अन्तर्गत सिटी सेन्टर की ऊँचाई क्यों बढ़ाई जाये के सम्बन्ध में [illegible] अपने विचार रखते हुए स्थिति स्पष्ट की गयी। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सिटी सेन्टर की ऊँचाई 39-40 मीटर रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण इस सन्दर्भ में नियमों/ [illegible] में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण [illegible] शासन के आवास विभाग को सन्दर्भित करे। यह भी [illegible] कि आर0एफ0पी0 डाक्यूमेन्ट को भी उत्तराखण्ड शासन के आवास विभाग को अनुमोदनार्थ अग्रसारित [illegible] जाये।

उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बैठक की कार्यवाही व गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। गत बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की सर्व-सम्मति से पुष्टि की गयी।

**विषय क्रमांक 1:-मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में कार्यरत 113 कर्मियों/अधिकारियों के विनियमितिकरण पर विचार हेतु प्रस्ताव।**

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई एवं बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के दैनिक वेतन/ संविदा / वर्कचार्ज कर्मचारियो एवं अधिकारियो के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में सहानभूति पूर्वक विचार करने हेतु बोर्ड द्वार प्रबल संस्तुति की गयी एवं शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर पत्राचार के माध्यम से जो पृच्छा की गई है, उसका बिन्दुवार प्रतिउत्तर शासन को तत्काल प्रेषित किया जाये ताकि शासन स्तर पर इस प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जा सकें। इसके अतिरिक्त तत्कालीन नियुक्ति अधिकारी, जिनकें द्वारा समय-समय पर दैनिक वेतन / संविदा / वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है के प्रति बोर्ड द्वारा आपत्ति एवं रोष व्यक्त किया गया।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपने स्तर से संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर, उनसे तीन दिन के भीतर कार्यहित एवं जनहित में कार्य पर तत्काल लौटने हेतु आग्रह करें, साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में भी यथावश्यकता तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि जनसेवा बाधित न हो

Secretary MDDA
V.C. MDDA
Aor कृपया
1 व 2
स्वाभाविक
11/3

**विषय क्रमांक 2:- माजरा में सिटी सैंटर बनाये जाने हेतु प्रस्ताव।**

यू-डेक द्वारा माजरा में सिटी सेन्टर के विकास हेतु प्रस्तुत कन्सेप्ट नोट के पृष्ठ संख्या 23 पर दी गयी तालिका-4 में वर्णित विकल्पों पर विचार किया गया।

बोर्ड द्वारा अधिक आय की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण के कन्सेप्ट नं0-3, जिसके अन्तर्गत 107262 वर्गमीटर बिल्टअपएरिया (निर्मित क्षेत्रफल) तथा 35 प्रतिशत भू आच्छादन एंव 39 मीटर की अधिकतम ऊँचाई प्रस्तावित है, को अपेक्षाकृत उपयुक्त पाया गया।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सिटी सैन्टर हेतु प्रस्तावित ऊंचाई पर भी विचार विमर्श किया गया। यू-डेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अवनी पाराशर द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख, कन्सेप्ट नोट के पृष्ठ संख्या 24, प्रस्तर संख्या 5.1 के अन्तर्गत सिटी सेन्टर की ऊंचाई क्यो बढाई जाये, के सम्बन्ध में, कारणों सहित अपने विचार रखते हुए स्थिति स्पष्ट की गयी। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सिटी सेन्टर की ऊंचाई 39-00 मीटर रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण इस सन्दर्भ में नियमों/मानकों में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण उत्तरांचल शासन के आवास विभाग को सन्दर्भित करें। यह भी निर्णय लिया गया कि आर0एफ0पी0 डाक्यूमेन्ट को भी उत्तरांचल शासन के आवास विभाग को अनुमोदनार्थ अग्रसारित कर दिया जाये।

03-06 15:51 01368222378 COMM GRH 002

3

अन्त में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(सुजाता विश्वास)
उपाध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०.

(सुभाष कुमार)
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल/
अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०, देहरादून

सुभाष कुमार
आई0 ए0 एस0

उत्तरांचल शासन

अ0शा0 पत्रांक सं0 876/ वै0 सहा0-2006
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल पौड़ी
दिनांक. मार्च, 31 , 2006

कृपया अपने पत्र संख्या 1224/नि0स0-अ0स0/2006 दिनांक 18 मार्च 2006 का अवलोकन करने का कष्ट करें। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 6-3-2006 के विषय क्रमांक 2 **" माजरा में सिटी सेन्टर बनाये जाने हेतु प्रस्ताव"** की पंक्ति संख्या 9 एवं 10 में बोर्ड के निर्णय के अनुसार कुछ शुद्धिकरण करने के बारे में लिखा है, इस सम्बन्ध में मैं आपके विचार से सहमत हूं और वास्तव में जो बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया, की पंक्ति संख्या 9 एवं 10 में निम्न प्रकार लिखा जाना है। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा **"सिटी सेन्टर की ऊंचाई 39 मी0 रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।"** कृपया तद्नुसार दिनांक 6-3-06 के विषय क्रमांक 2 के कार्यवृत्त को संशोधित समझा जाये।

I
47
15/4/06

भवनिष्ठ,
(सुभाष कुमार)

श्री भाष्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन देहरादून।

मैं उपरोक्त अ0शा0 पत्र की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूं।

भवनिष्ठ,
(सुभाष कुमार)

श्री सुव्रत विश्वास,
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

338
18.4

Secretary

299
18/4/2006

Sushma Arora

V.C.
15/4/06

18/4/06

22/4

(290)

# कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

156 / प्रा0 / बो0बै0–68 / 006–07 दिनांक 3-5-06

1– प्रमुख सचिव
आवास,
उत्तरांचल शासन,
2– सचिव वित्त
उत्तरांचल शासन,
3– जिलाधिकारी
देहरादून
4– अपर सचिव
आवास,
उत्तरांचल शासन,
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग उत्तराचल।
6– मुख्य अभियन्ता
पेयजल निगम ,देहरादून।
7– मुख्य नगर अधिकारी,
देहरादून।

– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक दि0 6–3–06 के विषय कमांक– 2 के कार्यवृत्त के संशोधन के सम्बन्ध में।

य,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दि0 6–3–06 का कार्यवृत्त पत्र सं0 मीमों )बो0बै0–68 / 06 दि0 13–3–06 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ।

उक्त कार्यवृत्त में अपर सचिव आवास विभाग उत्तरांचल शासन के पत्र सं0 / नि0स0–अ0स0 / दि0 18 मार्च 2006 के कम में आयुक्त महोदय के अ0शा0 पत्र सं0 876 / वै0सहा0 / 2006 गर्च 2006 के अनुपालन में उक्त बैठक के विषय कमाक–2 माजरा में सिटी सेन्टर बनाये जाने हेतु प्रस्ताव में लेखित संशोधन हेतु लिखा गया है ।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विषय क0–2 के पवित्त सं0 9एवं 10 में निम्नलिखित उल्लिखित किया गया है ।

''तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सिटी सेन्टर की उंचाई 39–00 मी0 रखे जाने हेतु य लिया गया''

वस्तुतः बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि पवित्त सं0 9एवं 10 में निम्न प्रकार पढा जाना है ।

''सिटी सेन्टर की उंचाई 39 मी0 रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित ने का निर्णय लिया गया'' । कृपया तदनुसार दि0 6–3–06 की बोर्ड बैठक के विषय क0–2 के कार्यवृत को धित समझा जाय ।

भवदीय

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

लिपि– 1– वै0 सहा0 आयुक्त / अध्यक्ष गढवाल मण्डल को इस आशय से सूचनार्थ कि अध्यक्ष महोदय के पत्र 376 दि0 मार्च 2006 के अनुपालन में अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
उपाध्यक्ष महोदय म0दे0वि0प्रा0 को अवलोकनार्थ ।

03.05.06

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून